


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012 दिनांक-27.03.17 में उनके नाम के सम्मुख निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क सं.	नाम आशार्थी मय पदस्थापन स्थान	आदेश क्र संख्या	वांछित संशोधन
1	सुनिता वर्मा, व्याख्याता (रसायन विज्ञान) रा.मॉडल बालिका उ.मा.वि. अजमेर	138	पूर्व में मुद्रित नाम व पदस्थापन स्थान सुनिता शर्मा, फायसागर, अजमेर के स्थान पर सुनिता वर्मा, रा.मॉडल बालिका उ.मा.वि. अजमेर एवं डीपीसी वर्ष में तदर्थ के स्थान पर डीपीसी वर्ष 2015-16 पढ़ा जावे।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक:- 4.5.17

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/ 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 5 सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- 6 संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित प्राध्यापक द्वारा संस्था प्रधान।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर